



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. शोभा पालीवाल / Dr. Shobha Paliwal

दूरभाष/Phone: +91 7387812625

समन्वयक आईक्यूएसी/ Coordinator-ICAC

पत्रांक : 062 / 2018-19 / Acd.Aud/(17-18)/01/194

दिनांक : 20 अगस्त 2018

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय निदेशक

म. गां. अं. हिं. वि.

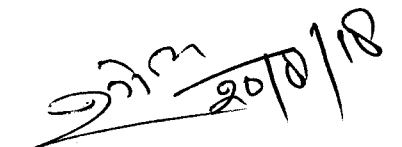
वर्धा।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 का समेकित अकादमिक ऑडिट करवाया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि यह जानकारी सत्रवार (01 जुलाई से 30 जून) 05 सितंबर 2018 तक अकादमिक संयोजक कार्यालय में हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर

संलग्नक : संबंधित प्रपत्र।


शोभा पालीवाल

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. प्रभारी, लीला— वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति